

①

MM
ple

विषय:

डब्ल्यू.पी.क्रमांक-19359/2015 द्वारा श्री हरीश चन्द्र सिंह विरुद्ध म.प्र.शासन, लो.नि.वि. एवं अन्य।

का विभाग

पंजी क्र.-1076/2016/स्था./19, दिनांक 15.02.2016

18.12

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन हो।

2/ श्री हरीश चन्द्र सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर में डब्ल्यू.पी.क्र.-19359/2015 याचिका दायर किया है, जिसमें शासन का पक्ष समर्थन करने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना है।

अतः कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, सीधी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ प्रस्तुत।

6. अ

अनु0अधि0

अनु0अधि0

04/03/16

कृपया "अ" अनुमोदना के लिए

(निधिव)

दि 7/3

05/03/16

4/8/16
ग.0.

08/03/16

05

आदेशानुसार कार्यवाही के लिए आदेशित अधिकारी/अधीनस्थ

08/03/16

Recd. डी.जे. शास्त्री
9/3/16. अनु0अधि0
ग.0.

09/03/16

10/03/16
10/03/16

D

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: डब्ल्यू पी. क्रमांक-19359/2015 द्वारा श्री हरीश चन्द्र सिंह विरुद्ध म.प्र.शासन, लो.नि.वि. एवं अन्य।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

प्रभारी-आधी की निम्नलिखित उचाराण शासन के पक्ष सम्पन्न हेतु नहली सिद्ध विभाग को अंगीकृत करना चाहते हैं।

अनेक आधी

अ.स.

कृपया नहली अंगीकृत कर प्रस्तुत करें।

18/03/16

र.०

निर्देशानुसार नहली व्यवस्थित कर दी गई है। अतः उक्त चीज के संदर्भ में शासन के पक्ष सम्पन्न हेतु नहली सिद्ध विभाग को अंगीकृत करना चाहते हैं।

अनेक आधी

अ.स.

सचिव

निर्देश विभाग

18/03/16

18/03/16

18/03/16

चन्द प्रकाश अग्रवाल
सचिव, म.प्र.शासन
लोक निर्माण विभाग

8412

4 नवंबर 2015

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR**

**NOTICE
GENERAL FORM**


Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/ 19359/ 2015

Harishchandra Singh (Petitioner)

VS

The State Of Madhya Pradesh (Respondent)

Process Id: 4645/2016



for admission

Fixed for

04-02-2016

WP-DA-9

Respondent No. 2

To,

Secretary Public Works Department,
Vallabh Bhawan, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH)

P
05

Where as a Petition has been made in the above case by the Petitioner for a writ of Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto under Article 226 of the Constitution of India (Copy of Petition enclosed)

S.B.
06/02

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **04-02-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

08/02

Given under my hand and the seal of the High Court of Judicature at Jabalpur on this the **13-01-2016**.

BY ORDER OF THE HIGH COURT



Sr
SECTION OFFICER

Forward to the District Judge Bhopal (MADHYA PRADESH) for services and immediate return of the original duly enclosed, the necessary process-fee has been levied.

Sr
SECTION OFFICER

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15/03/2016

क्रमांक-एफ-19-84/2016/स्था./19, राज्य शासन एतद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, सीधी को मान.उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में प्रकरण डब्ल्यू. पी.क्रमांक-19359/2015 द्वारा श्री हरीश चन्द्र सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उरो जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
8. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजे।
9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
11. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छुपा हुआ नहीं रह जाए।
12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(सुनील मुंडावी)
अवर सचिव

पृ.क्र.-एफ-19-84/2016/स्था./19

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक 15/03/2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. डिप्टी रजिस्ट्रार, मान0उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, निर्माण भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण, उत्तर-परिक्षेत्र-ग्वालियर।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, सीधी प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करें एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे।
6. कलेक्टर - सीधी (म0प्र0)।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग